

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वरलू
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाराबंकी।
राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ : दिनांक : २८ जनवरी, 2013

विषय: वित्तीय वर्ष 2012-13 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आपदा राहत निधि के अन्तर्गत तात्कालिक पुर्नस्थापना/मरम्मत हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-४९३०/राहत-सहा०, दिनांक-१५ दिसम्बर, २०१२ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बाराबंकी में वित्तीय वर्ष 2012-13 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुर्नस्थापना/मरम्मत हेतु विभिन्न विभागों के कार्यों के सम्बन्ध में जिला स्तरीय राहत समिति की बैठक दिनांक ०५.१२.२०१२ में अनुमोदित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में उक्त पत्र दिनांक १५ दिसम्बर, २०१२ द्वारा कुल धनराशि ₹० १,४९,६४,९०२/- की मांग की गयी है। अतः विभिन्न विभागों के ₹० ५०.०० लाख तक के मरम्मत आदि अनुमोदित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में मांगी गयी धनराशि के सापेक्ष ५० प्रतिशत धनराशि के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल धनराशि ₹० ७४,८२,४५१/- (रूपये चौहत्तर लाख बयासी हजार चार सौ इक्यावन मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क०सं०	विभाग का नाम	क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों/कार्यों की संख्या	मांगी गयी धनराशि (₹० में)	अवमुक्त धनराशि (₹० में)
1	अधिशासी अभियंता, बाढ़ कार्य खण्ड बाराबंकी	०२	६७,३५,५००/-	३३,६७,७५०/-
2	अधिशासी अभियंता, बाढ़ कार्य खण्ड गोण्डा	०१	८,९६,०००/-	४,४८,०००/-
3	अधिशासी अभियंता, लो० नि०वि० खण्ड-१ बाराबंकी	०४	४२,१४,०००/-	२१,०७,०००/-
4	अधिशासी अभियंता, लो०नि०वि०, खण्ड-३	०२	१५,८६,०००/-	७,९३,०००/-
5	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/बेसिक शिक्षा विभाग	२६	१५,३३,४०२/-	७,६६,७०१/-
कुल योग			१,४९,६४,९०२/-	७४,८२,४५१/-

२. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला वाय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-५१ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "२२४५-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-०५-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-८००-अन्य व्यय-०३-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-४२-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

२८

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०सं०-७८/पी०ए०आ००/२०१२, दिनांक २४.०१.२०१२ के साथ संलग्न पत्र संख्या-३२-७/२०११-NDM-१, दिनांक १६.०१.२०१२ में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं० २७८५/१-१०-२०११-१२(७३)/२००८, दिनांक १४.१०.२०११, शासनादेश सं० १३४९/१-१०-२०१२-१२(७३)/२००८, दिनांक १७.०५.२०१२ के अनुसार किया जायेगा।

5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा/अधिसंरचना के तात्कालिक प्रकृति के मरम्मत/पुनर्निर्माण की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप में ससमय पूर्ण कर लिया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय। जिलाधिकारी द्वारा यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जॉच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश सं० २६६०/१-१०-२०१२-रा०-१०-३३(१७१)/२०१२, दिनांक २५ अक्टूबर, २०१२ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभागों से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जाय। सन्दर्भित कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं हो, अर्थात् एक ही कार्य का नाम बदलकर दो कार्य/परियोजनायें प्रदर्शित कर धनावंटन न होने पाये।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत धनराशि निर्गत करना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-१६९३/१-११-२००५-रा०-११, दिनांक २० जून, २००५ द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की ०५ तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें अविलम्ब/३१ मार्च, २०१३ से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—42 आई में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय

(एल० वेंकटेश्वरलू)

सचिव एवं राहत, आयुक्त।

२८

संख्या ३५८८(१) / १-१०-२०१३-१२(१७) / २०१२, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2— आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद/प्रमुख सचिव, सिंचाई/ल०नि० विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3— प्रमुख अभियंता/सिंचाई/ल०नि०विभाग एवं निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 7— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बाराबंकी।
- 8— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग—५, उ०प्र० शासन।
- 9— समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग—१०/राजस्व अनुभाग—६/११, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 10— निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
- 11— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार शर्मा)

अनु सचिव।

२९